

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधकारी पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधकारी पथौरागढ़ के माह 02/2017 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना राम लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.02.2018 से 16.02.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री. प्रमोद चौधरी व. लेखापरीक्षक एवं श्री अजय कुमार सचान सहा. लेखापरीक्षा अधकारी द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 28.02.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2013 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2017 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधकार क्षेत्र:- जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल वभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की भर्ती, सुदृढीकरण, युवा महोत्सव का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों से संबन्धित खेल वधा प्रतियोगिता, विकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवक/महिला मंगल दल का गठन, पंजीकरण एवं मार्गदर्शन, सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को ववेकानन्द यूथ एवार्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाना, खेल मैदानों का विकास एवं स्वयं सेवकों को व भन्न वभागों में कार्य निस्पादन हेतु इयूटी लगायी जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधकार क्षेत्र समस्त पथौरागढ़ जनपद है।
- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	73.62	65.51	208.47	203.52	-	13.06
2016-17	-	-	118.18	96.40	201.76	192.15	-	31.38
2017- 18(01/2018)	-	-	122.66	64.33	160.21	149.38	-	69.16

- अवशेष धनराश वर्षान्त में शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:
(धनरा श लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य				
2015-16					
2016-17					
(दिसंबर तक)					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. स चव
2. अपर स चव
3. निदेशक
4. वत नियंत्रक
5. संयुक्त निदेशक
6. उप निदेशक
7. सहायक निदेशक
8. सहायक समादेष्टा
9. सहायक लेखा धकारी
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी

1- जनपद स्तर

- 1-जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी
- 2-व्यायाम प्र शक्षक
- 3-वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी / मुख्य सहायक
- 4-वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी पथौरागढ को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी पथौरागढ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित कया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

प्रस्तर- 1:- वतीय नियमों की अवहेलना कर निष्प्रयोज्य सामग्री घोषित न कया जाना एवं नीलामी न कया जाना

सामान्य वतीय नियम 192 के अनुसार वर्ष मे कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए, एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथा शीघ्र नीलामी की जानी चाहिए, ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके ।

इकाई की भंडार पंजिका की जांच मे पाया गया की वर्ष 2007-08 मे अन्तिम बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया गया था तथा भौतिक सत्यापन मे अनुपयोगी सामग्रियों को निष्प्रयोज्य घोषित भी कया गया था। आगे अ भलेखों की जांच मे पाया गया क इकाई द्वारा उक्त निष्प्रयोज्य सामग्रियों को सूचीबद्ध नहीं कया गया और न ही उनकी नीलामी क गई। जांच मे यह भी पाया गया क 2007-08 के पश्चात अब तक भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं कया गया फलस्वरूप निष्प्रयोज्य सामग्री की घोषणा नहीं हो पाई एवं नीलामी नहीं की गई। जिससे अप्रयुक्त सामग्री के मूल्य में निरंतर मूल्य ह्रास हो रहा है एवं निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से प्राप्त होने वाली बिभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही है । जांच मे यह भी प्रकाश मे आया क संबधित पटल सहायक का तबादला होने पर मात्र उपयोगी सामग्री को ही हस्तगत कया गया एवं अनुपयोगी सामग्री का कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया।

लेखापरीक्षा मे इंगत कए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया क निष्प्रयोज्य सामग्री क सूची शीघ्र तैयार कर नीलामी की प्रक्रया पूरी की जाएगी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है कयो क वगत आठ वर्षों से अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण मे घोर उदासीनता बरती गई और तत्संबधत नियमों की अनदेखी कर निष्प्रयोज्य सामग्री का मूल्य ह्रास होने दिया गया ।

अतः निष्प्रयोज्य सामग्री के नियमानुसार उचित निस्तारण का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
11/2013-14		शून्य	02 एवं 03
159/2016-17		शून्य	01,02,03,04

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अवगत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी पथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:
 - (i) Nil
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	अवध
1.	श्री डी.सी.पाण्डेय	जि.यु.क.एवं प्रा.र.द.अ.ध.	01/2/2017 से 28/2/2017 तक
2.	श्री बी.एस.निर्खुया	जि.यु.क.एवं प्रा.र.द.अ.ध.	01/3//2017 से 06/10/2017 तक
3.	श्री एस पी.आर्य	जि.यु.क.एवं प्रा.र.द.अ.ध.	07/10/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी पथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जायं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.